

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं.सं.-8/ज.स.(नि.)सु.परि.-06/13:-.....राँची, दिनांक:-.....

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री दीपनारायण मण्डल, कार्यपालक अभियंता ने जबकि वे कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री दीपनारायण मण्डल, कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम-55 के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री दीपनारायण मण्डल से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री ब्रजमोहन कुमार, मुख्य अभियंता, चाण्डिल के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए अधीक्षण अभियंता, सुवर्णरेखा नहर अंचल, जमशेदपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर सचिव/माननीया विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ:-श्री ब्रजमोहन कुमार, मुख्य अभियंता, चाण्डिल/अधीक्षण अभियंता, सुवर्णरेखा नहर अंचल, जमशेदपुर/श्री दीपनारायण मण्डल, कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-

/राँची, दिनांक:-

/

प्रतिलिपि:-अनुबंध की प्रति के साथ श्री ब्रजमोहन कुमार, मुख्य अभियंता, चाण्डिल/अधीक्षण अभियंता, सुवर्णरेखा नहर अंचल, जमशेदपुर/श्री दीपनारायण मण्डल, कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

(कृ.पृ.उ.)

2. जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अंदर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेंगे साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेंगे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3. प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4. आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अंदर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०-यथोक्त।

ह0/-

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 732

/राँची, दिनांक:- 13/05/14 /

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-01, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

13/5/14